

## Appendix – A

उत्तर प्रदेश सरकार के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल द्वारा जारी प्रमाणपत्रों के प्रारूप पर विभिन्न श्रेणी के आरक्षण एवं आय प्रमाणपत्र भी उपयोग में लाये जा सकते हैं।

### Certificate – 1 (प्रमाण पत्र – १)

अनुसूचित जाति/ जनजाति (UPSC/UPST/GDSC/GDST)

(अभ्यर्थी के जन्म जिले के जिला मजिस्ट्रेट/प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / कु० \_\_\_\_\_ पुत्र / पुत्री श्री  
\_\_\_\_\_ निवासी गाँव/शहर \_\_\_\_\_ तहसील  
\_\_\_\_\_ जिला \_\_\_\_\_ प्रदेश  
\_\_\_\_\_ का जन्म \_\_\_\_\_ जाति में हुआ था और यह जाति  
अनुसूचित जाति/ जनजाति आदेश (संशोधन) एक्ट 1956 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश शासन द्वारा मान्य अनुसूचित  
जाति/ जन जाति है।

नवीन  
फोटो

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
दिनांक :  
स्थान :

हस्ताक्षर  
नाम  
दिनांक :  
मोहर

जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी/  
सिटी मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट / तहसीलदार

## Certificate – 2 (प्रमाण पत्र – २)

### उत्तर प्रदेश के अन्य पिछडा वर्ग (NCL) (UPBC/GDBC)

(अभ्यर्थी के जन्म जिले के जिला मजिस्ट्रेट/प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती /कुमारी \_\_\_\_\_ सुपुत्र/सुपुत्री श्री  
\_\_\_\_\_ निवासी ग्राम \_\_\_\_\_ तहसील  
\_\_\_\_\_ नगर \_\_\_\_\_ जिला  
\_\_\_\_\_ उत्तर प्रदेश राज्य की \_\_\_\_\_ पिछडी जाति के  
व्यक्ति हैं। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों। अनुसूचित जनजातियों तथा पिछडा वर्गों के लिए  
आरक्षण अधिनियम, 1994 (यथा संशोधित) की अनुसूची-1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।


यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी \_\_\_\_\_ उक्त अधिनियम 1994  
की अनुसूची-2 (अधिसूचना संख्या-22/16/92-का 02/1995 टी0 सी0 दिनांक 8 दिसम्बर, 1995 द्वारा यथा  
संशोधित) से आच्छादित नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी \_\_\_\_\_ तथा अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम  
\_\_\_\_\_ नगर \_\_\_\_\_ जिला  
\_\_\_\_\_ में सामान्यतः रहता है एवं इनके परिवार की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिए  
सकल वार्षिक आय आठ लाख रु० या इससे अधिक नहीं है, तथा इनके पास धनकर अधिनियम 1957 में  
यथाविहित छूट सीमा से अधिक संपत्ति भी नहीं है।

नवीन  
फोटो

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
दिनांक :  
स्थान :

हस्ताक्षर  
नाम  
दिनांक :  
मोहर



जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी/  
सिटी मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट / तहसीलदार

Note that the Certificate No. 2 for OBC candidates will be entertained only if it is issued on or after 01.04.2026  
(mandatory due to condition of creamy layer for OBC).

**Certificate – 3 (प्रमाण पत्र – ३)**

**उत्तर प्रदेश के मूल/सामान्य निवासी के पुत्र/पुत्री (UPGD/GDSC/GDST/GDBC)**

(उस जिले के अधिकारी द्वारा प्रमाणित जिस जिले के माता/पिता निवासी है)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती (अभ्यर्थी के पिता/माता का नाम) \_\_\_\_\_

पिता/ माता श्री/ कु० (अभ्यर्थी का नाम) \_\_\_\_\_ उत्तर प्रदेश के गाँव/शहर

\_\_\_\_\_ तहसील \_\_\_\_\_

जिला \_\_\_\_\_ के मूल निवासी हैं तथा श्री/कु० (अभ्यर्थी का नाम)

\_\_\_\_\_ अपने पिता/माता पर पूर्णतया आश्रित हैं। उक्त पते पर श्री/कु० (अभ्यर्थी का

नाम) \_\_\_\_\_ के माता/पिता सामान्यतः निवास करते हैं।

नवीन  
फोटो

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

दिनांक :

स्थान :

हस्ताक्षर जिलाधिकारी

नाम

दिनांक :

मोहर (जिलाधिकारी)

जिलाधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा अधिकृत अपर मजिस्ट्रेट /सबडिवीजन मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणपत्र ही मान्य होंगे जो शा0आ0 सं0-157/तीन-2003-77(II)/83 दिनांक 18 फरवरी, 2003 के अधीन जारी किया जायेगा।

नोट-प्रमाणपत्र-3 अभ्यर्थी के माता/पिता का बना होना चाहिए क्योंकि अभ्यर्थी जिन्होंने अर्हकारी परीक्षा उत्तर प्रदेश के बाहर स्थित किसी विद्यालय से उत्तीर्ण की है परन्तु उनके माता/पिता उत्तर प्रदेश के मूल/स्थायी निवासी हैं परीक्षा में बैठने के पात्र हैं।

**Certificate – 4 (प्रमाण पत्र – ४)**

**स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए (UPFF)**

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाणपत्र का प्रपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) \_\_\_\_\_  
निवासी ग्राम \_\_\_\_\_ तहसील \_\_\_\_\_ नगर  
\_\_\_\_\_ जिला \_\_\_\_\_ . उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक  
रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 के  
अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/ श्रीमती/ कु० (आश्रित अभ्यर्थी का नाम)  
\_\_\_\_\_ पुत्र/पुत्री/पौत्र/अविवाहित पौत्री उपरांकित अधिनियम, 1993 के ही प्रावधानों  
के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) \_\_\_\_\_ के आश्रित हैं।

नवीन  
फोटो

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
दिनांक :  
स्थान :

हस्ताक्षर  
पूरा नाम एवं पदनाम  
दिनांक :  
मोहर (जिलाधिकारी)

**Certificate – 5 (प्रमाण पत्र – ५)**

**Part A**

**उत्तर प्रदेश/सेनादल (GDDA/UPAF)**

(अंतिम यूनिट के आफिसर कमान्डिंग/जिला सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा प्रमाणित)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती \_\_\_\_\_ (अभ्यर्थी के पिता अथवा माता का नाम) निवासी, गाँव /शहर \_\_\_\_\_ तहसील \_\_\_\_\_ जिला \_\_\_\_\_ उत्तर प्रदेश, के दिनांक \_\_\_\_\_ को सेवानिवृत्त (Superannuated) / युद्ध में मारे गये/अपंग हो गये/उत्तर प्रदेश में वर्तमान में तैनात है। वे भारतीय थलसेना/ जलसेना/ वायुसेना के स्थान \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_ से दिनांक \_\_\_\_\_ तक कार्यरत थे/हैं।

दिनांक :

यूनिट कमान्डिंग आफिसर हस्ताक्षर

स्थान :

पूरा नाम

मोहर

**Part B**

(जिलाधिकारी द्वारा प्रमाणित)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ कु० (अभ्यर्थी) \_\_\_\_\_ निवासी \_\_\_\_\_ उत्तर प्रदेश गाँव /शहर \_\_\_\_\_ तहसील \_\_\_\_\_ जिला \_\_\_\_\_ उपरोक्त सेनादल के सेवानिवृत्त (Superannuated) युद्ध में मारे गये या अपंग हो गये कर्मचारी जो उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हैं/थे, के पुत्र/पुत्री हैं अथवा प्रवेश परीक्षा की तिथि को उत्तर प्रदेश भारतीय थलसेना/जलसेना/वायु सेना में कार्यरत थे/हैं।

नवीन

हस्ताक्षर

फोटो

दिनांक :

मोहर (जिलाधिकारी)

नोट : Part B के स्थान पर मूल निवास प्रमाण पत्र भी मान्य होगा |

**Certificate – 6 (प्रमाण पत्र – ६)**

**शारीरिक विकलांग (UPHC)**

(मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित)

- यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु० (अभ्यर्थी) \_\_\_\_\_ पुत्र/पुत्री श्री (पिता का नाम) \_\_\_\_\_ नीचे लिखे कारणों से शारीरिक रूप से विकलांग हैं। (केवल मुख्य चिकित्सा अधिकारी ही कारण लिखें) \_\_\_\_\_
- अभ्यर्थी की उपरोक्त विकलांगता को निम्न प्रकार की विकलांगता की श्रेणी में रखा जा सकता है। (कृपया ✓ का निशान लगायें)

Type - I: Minimum 40% permanent Visual impairment	
Type-II: Minimum 40% permanent Locomoter disability	
Type-III: Minimum 40% permanent Speech Hearing impairment	

- यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विकलांग स्थिति अभ्यर्थी के इन्जीनियरिंग शिक्षा प्राप्त करने में बाधक नहीं होगी।

नवीन  
फोटो

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
दिनांक :  
स्थान :

चिकित्साधिकारी के हस्ताक्षर  
पूरा नाम  
दिनांक :  
मोहर

नोट : यह प्रमाण पत्र इसके अतिरिक्त अन्य प्रारूप में मान्य नहीं है।

**Certificate – 7 (प्रमाण पत्र – ७)**

**उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय (Rural Weightage)**

**(कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित)**

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु० (अभ्यर्थी) \_\_\_\_\_ ने  
\_\_\_\_\_ कालेज, गाँव \_\_\_\_\_ से इण्टरमीडिएट की  
शिक्षा प्राप्त की। यह कालेज तहसील \_\_\_\_\_ जिला  
\_\_\_\_\_ उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हैं तथा ग्रामपंचायत के कार्य क्षेत्र के सीमा  
के अन्दर है और यह क्षेत्र औद्योगिक विकसित क्षेत्र नहीं है।

नवीन  
फोटो

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
दिनांक :  
स्थान :

प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर  
पूरा नाम  
दिनांक :  
मोहर

**(जिला विद्यालय निरीक्षक एवं जिला जिलाधिकारी द्वारा प्रमाणित)**

प्रधानाचार्य द्वारा दिया गया कालेज की स्थिति से संबंध उपरोक्त वक्तव्य प्रमाणित किया जाता है।

दिनांक :  
स्थान :

जिलाविद्यालय निरीक्षक के हस्ताक्षर  
पूरा नाम  
मोहर

दिनांक :  
स्थान :


प्रतिहस्ताक्षरित जिला/अपर/उप जिलाधिकारी  
पूरा नाम  
मोहर

## Certificate – 9 (प्रमाण पत्र – ९)

### Medical Fitness Certificate

(To be submitted at the time of Physical Reporting)

Name of Candidate: _____ Age: _____ Sex: _____					
Application No.: _____ Category: _____ Subcategory _____					
Father's Name: _____					
<b>( To be filled in by the Candidate )</b>					
L.T. Height	M.I. Weight	Chest	Abdomen	VISION	Colour Vision: Without glass: With glass:
History	Operation	Kockh's Colics		B.P.	
	Seizures	Asthma		Piles	Diabetes
EXAMINATION	Pulse	Tonsil		DNS	Hernia
	Pallor	L.Nodes		CSOM	Hydrocele
	Cardiovascular Respiratory Genitourinary			CNS GIT Others	
Is the candidate physically handicapped/Disabled: (Please tick) Yes / No					
If yes, type of handicap/disability: (Please tick ✓ the type of handicap/disability) Type -I: Minimum 40% permanent Visual impairment Type-II: Minimum 40% permanent Locomoter disability Type-III: Minimum 40% permanent speech and Hearing impairment					
Any other finding:					
Certified that the candidate is physically fit/unfit/temporally disqualified to pursue engineering studies					



Candidate Signature

Signature of Issuing Medical Officer

Name

Stamp

**Certificate – 10 (प्रमाण पत्र – १०)**

**Undertaking for Medical Fitness**

**(To be submitted at the time of Physical Reporting)**

I hereby certify that I do not suffer from any physical handicap or disability that would hinder my ability to pursue the course for which I am seeking admission. If, at any stage, it is found that I have such a physical handicap or disability, my admission shall be liable to cancellation. I undertake to produce a medical fitness certificate issued by a C.M.O or C.M.S. At the time of joining the institution allotted through counselling.

Dated : \_\_\_\_\_

Counter signed by Father/Guardian

Signature of Candidate

UPTAC-2020

**Certificate – 11 (प्रमाण पत्र – ११)**

**अखिल भारतीय सेवा के उ०प्र० कैडर के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु**

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती (अभ्यर्थी के माता/पिता का नाम)

\_\_\_\_\_ पदनाम \_\_\_\_\_ विभाग का नाम

\_\_\_\_\_ कैडर संख्या \_\_\_\_\_ अखिल भारतीय सेवा

के उ०प्र० कैडर के अधिकारी/कर्मचारी है तथा वर्तमान में इस कार्यालय में कार्यरत हैं। यह प्रमाणपत्र

इनके पुत्र/पुत्री (अभ्यर्थी का नाम) \_\_\_\_\_ को डा० ए०पी०जे० अब्दुल

कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ के अन्तर्गत प्रवेश हेतु प्रदान किया जाता है।

नवीन  
फोटो

स्थान :

विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष का हस्ताक्षर

पूरा नाम:

पदनाम :

दिनांक :

मोहर

**Certificate – 12 (प्रमाण पत्र – १२)**

**(आय प्रमाण पत्र)**

क्षेत्रीय भूलेख निरीक्षक तथा लेखपाल की जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि \_\_\_\_\_ (आवेदक के अभिभावक/माता/पिता का नाम) सुपुत्र  
\_\_\_\_\_ निवासी/ग्राम \_\_\_\_\_ परगना  
\_\_\_\_\_ तहसील \_\_\_\_\_ नगर  
\_\_\_\_\_ जिला \_\_\_\_\_  
राज्य \_\_\_\_\_ के स्वयं की मासिक आय रूपया  
\_\_\_\_\_ तथा वार्षिक आय रूपया \_\_\_\_\_ है।

लेखपाल की रिपोर्ट के अनुसार आय का स्रोत \_\_\_\_\_ है।

स्थान :

तहसीलदार

दिनांक :

मोहर

नोट- अभ्यर्थी ध्यान दें कि उ०प्र० के आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों के लिए प्रमाण पत्र अप्रैल 01, 2026 के पश्चात का बना हुआ होना आवश्यक है।

Certificate – 13 (प्रमाण पत्र – १३)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यालय का नाम तहसीलदार महोदय, तहसील \_\_\_\_\_ (उ०प्र०) भारत- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र।

प्रमाण पत्र संख्या \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_

वर्ष 2026-27 के लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी \_\_\_\_\_ पुत्र/पुत्री/पत्नी  
\_\_\_\_\_ ग्राम/कस्बा \_\_\_\_\_ पोस्ट आफिस  
\_\_\_\_\_ थाना \_\_\_\_\_ ब्लॉक \_\_\_\_\_

तहसील \_\_\_\_\_ राज्य \_\_\_\_\_ पिन कोड \_\_\_\_\_  
के स्थायी निवासी हैं। जिसका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं क्योंकि वित्तीय वर्ष 2025-2026 में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख ( आठ लाख रुपये ) से कम है इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं है।

1. 5 ( पांच ) एकड़ कृषि योग्य भूमि या इसके ऊपर।
2. एक हजार वर्गफिट अथवा इससे अधिक का आवासीय का फ्लैट।
3. अधिसूचित नगर पालिका से अन्तर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
4. अधिसूचित नगर पालिका से अन्तर्गत 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
5. श्री/श्रीमती/कुमारी \_\_\_\_\_ जाति \_\_\_\_\_ के सदस्य हैं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में अधिसूचित नहीं है।

नवीन  
फोटो

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

दिनांक :

स्थान :

हस्ताक्षर

नाम


दिनांक :

मोहर

जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी/  
सिटी मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट / तहसीलदार

## Special Notes

- Reservation is available only for Candidates from Uttar Pradesh.
- Special Care is required for OBC NCL (non creamy layer) Certificate, Use Certificate No 2 or OBC NCL Certificate issued using E-District Uttar Pradesh on or after 01-Apr-2026. Certificate issued for Special Cause is not acceptable.



- Candidates who have passed Qualification Examination from State Other than Uttar Pradesh and willing to get benefits of Uttar Pradesh Domicile will have to Upload Domicile Certificate in E-District Uttar Pradesh Format or Certificate No 3.
- Rural Weightage Advantage is available by Using Certificate No 07 to Candidates whose Intermediate is from a School Located in Rural area, do not confuse certificate with Domicile Certificate.
- Certificate No 9, 10 are to be produced at the time of Physical Reporting at the allotted Institution.